फर्द अहकाम

सरकार बनाम डिक्रीदार

यालय SDO शाहपुरा

या 321/15

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/2/19	[illegible] 10-4-19 को पेश हो।	
10-4-19	पत्रावली पेश हुई। वास्ते बहस प्रा० पत्रावली दिनांक 19-6-19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
19/6/19	पत्रावली पेश हुई, वास्ते बहस प्रा० पत्रावली दि० 31-7-19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
31/7/19	पत्रावली पेश हुई, वास्ते बहस प्रा० पत्रावली दि० 04/9/19 को पेश हो। उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर)	
4/9/19	पत्रावली पेश हुई। प्रयाण में पटवारी [illegible] रिपोर्ट [illegible] की गई जिसमें [illegible] 894/2 [illegible] नजरपाबन्दी के बाद दर्ज होना पाया है। अतः प्रमाण के अभि [illegible] लेफ्टिनेंट होने से कार्यवाही [illegible] की जाती है। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2019.12.10 13:24:36 IST
Reason: SelfAttested